न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस
वाद संख्या :– 31/2020

उनवान

सुरजभान पुत्र रूडमल, उम्र–52 वर्ष, जाति जाट, निवासी देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

वादी

बनाम

1. बलदेव पुत्र रूडमल
2. मोहनलाल पुत्र बलदेव
3. देवीलाल पुत्र बलदेव
4. कन्हैयालाल पुत्र बलदेव
   समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा
7. मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
8. मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री मदनलाल जाट एडवोकेट वादी
श्री रणवीर कपूरिया एडवोकेट प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 8/9/2022

वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत पेश कर जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर–1743 रकबा 0.25, 1767 रकबा 0.40, 1768 रकबा 0.10, 1770 रकबा 0.11, 1771 रकबा 0.35, 1772 रकबा 0.19, 1773 रकबा 0.68, 1784 रकबा 0.57, 1788 रकबा 0.88, 2388 रकबा 1.04, 2389 रकबा 1.65, 2395 रकबा 0.04, 2397 रकबा 1.13, 2398 रकबा 0.96, किता–14 कुल रकबा 8.35 है0 वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0– 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं0– 2074 से 2077 खाता सं0–257 संलग्न वाद पत्र है। आराजी खसरा नम्बर–1703 रकबा 0.48, 1704 रकबा 0.45 है0 किता–2 कुल रकबा 0.93 है0 वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 खाता सं0 258 संलग्न वाद पत्र है। आराजी खसरा नम्बर 1702 रकबा 0.18 किता–1 कुल रकबा 0.18 है0 वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 खाता सं0 252 संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र में वर्णित उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से काफी समय से बाहमी बंटवारा कर रखा है उक्त बाहमी बंटवारे में वादी के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 1743 रकबा 0.25, 1767 रकबा 0.40, 1768 रकबा 0.10, 1770 रकबा 0.11, 1771 रकबा 0.35, 1772 रकबा 0.19, 1773 रकबा 0.68, 1784 रकबा 0.57, 1788 रकबा 0.88, तथा आराजी खसरा नम्बर 1703 रकबा 0.48, 1704 रकबा 0.45 है0 एवं खसरा नम्बर 1702 रकबा 0.18 है0 तथा खसरा नं0 8389 के रकबे में से दक्षिण दिशा की तरफ की 0.09 है0 सडक से लगती हुयी भूमि इस प्रकार कुल रकबा 4.73 है0 आयी हुई है तथा प्रतिवादी सं0 1 के बाहमी बंटवारे में खसरा नं0 2388 रकबा 1.04, 2395 रकबा 0.04, 2397 रकबा 1.13, 2398 रकबा 0.96, तथा खसरा नं0 2389 के रकबे की उत्तर दिशा की 1.56 है0 कुल रकबा 4.73 है0 आयी हुई है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 बाहमी बंटवारे में आयी अपनी अपनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी से प्रतिवादीगण घरेलू बातों को लेकर दुर्भावना रखते है वादी ने दिनांक 05.08.2020 को प्रतिवादीगण को वाद पत्र में वर्णित आराजी का बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कराने के लिए कहां तो प्रतिवादीगण काफी नाराज हो गए और उन्होंने बाहमी बंटवारे के अनुसार वर्णित आराजी का बंटवारा कराने से मना कर दिया और खसरा नम्बर 2388 में पुख्ता निर्माण कार्य करने के लिए नींव खोदने लगे। वादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना शाहपुरा ने प्रतिवादी सं0 3 देवीलाल व इनके रिश्तेदारों को शांति भंग करने पर गिरफ्तार किया था। प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि आराजी का बिना बंटवारा कराये ही आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कच्चा निर्माण करेंगे तथा विशिष्ट भू–भाग का बेचान अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0 6 के कार्यालय में अन्तरणडीड पंजीबद्ध कराकर व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराकर वादी को उसके कब्जे काश्त भूमि से जबरन बेदखल करके रहेंगे। इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेंगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष लाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की सह–खातेदारी भूमि होने तथा वादी व प्रतिवादी सं0–1 के मध्य वादपत्र में वर्णित बाहमी बंटवारा होने तथा बाहमी बंटवारे में आयी अपनी भूमि पर काबिज काश्त होने एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कराने से इन्कार कर देने तथा वादी को वाद पत्र में वर्णित आराजी से जबरन बेदखल करने व निर्माण कार्य करने तथा बिना बंटवारा कराये ही आराजी के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्ति को अन्तरण कर उसके पक्ष में अन्तरणडीड पंजीबद्ध कराने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है। प्रतिवादी सं0 5 राजस्थान सरकार भूमि–धारक है जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है, जिसे जरिये तहसीलदार–शाहपुरा के पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 6 लोक सेवक है जिसके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व धारा–80 (1) जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण उसे उक्त नोटिस दिया जाना संभव नहीं रहा है इस कारण वादी ने अलग से धारा – 80 (2) जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेशकर माननीय न्यायालय से नोटिस दिये जाने से छूट एवं दावा दायर करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। आराजी मुतनाजा के अपने अने हिस्से की भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 7 व 8 के यहां रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है इस कारण वाद में प्रतिवादी सं0 7 व 8 को पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी सं0 7 व 8 के खिलाफ वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि खसरा नम्बर–1743 रकबा 0.25, 1767 रकबा 0.40, 1768 रकबा 0.10, 1770 रकबा 0.11, 1771 रकबा 0.35, 1772 रकबा 0.19, 1773 रकबा 0.68, 1784 रकबा 0.57, 1788 रकबा 0.88, 2388 रकबा 1.04, 2389 रकबा 1.65, 2395 रकबा 0.04, 2397 रकबा 1.13, 2398 रकबा 0.96, किता–14 कुल रकबा 8.35 है0 वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर व आराजी खसरा नम्बर0 1703 रकबा 0.48, 1704 रकबा 0.45 किता 2 कुल रकबा 0.93 है वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर व आराजी खसरा नं0 1702 रकबा 0.18 है0 किता– 1 कुल रकबा 0.18 है0 वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य वाद पत्र के जिमन नं. 4 में वर्णित बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा किया जाये तथा उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाये ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई । प्रतिवादीगण सं0 1 की ओर से श्री रण्जीतसिंह एडवोकेट ने अन्डर टेंकिग पेश की तथा प्रतिवादी सं0 2 से 8 के विरूद्व नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई । प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 26.9.2021 को राजस्व प्रशासन गावों के संग अभियान देवन में प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/ 795 दिनांक 10.3.2022 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया । प्रकरण में दिनांक 1.4.2021 को जवाब दावा पेश किया गया तथा प्रकरण को आपसी राजीनामा से निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत में रखा गया । लेकिन पक्षकारों के द्वारा राजीनामा पेश नहीं किया जाकर प्रतिवादी सं0 1की ओर से श्री रणवीर कपूरिया एडवोकेट ने वकालतनामा तथा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि जवाब दावा के अनुसार अच्छे में अच्छे तथा बुरा में बुरा के अनुसार नियमों के अनुसार बंटवारा किया जावें। वकील प्रतिवादी ने अपनी लिखित बहस पेश कर जाहिर किया कि वादीगण के द्वारा बहमी बंटवारा कर बंटवारे में आयी हुई भूमि पर काबिज होना जाहिर किया है जो गलत है बल्कि वादी अपनी मनमर्जी से बदनियति पूर्वक प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी जो कि सडक मार्ग से लगती हुई है को हडप करना चाहता है, वादी ने गलत तथ्य के आधार पर प्रतिवादीगण की मुख्य सडक मार्ग से लगती हुई कीमती जमीनों को बंटवारा करवाकर प्रतिवादी को बेदखल करना चाहता है। प्रतिवादी ने यह भी जाहिर किया कि दिनांक 12.10.2017 को गांव समाज के व्यक्तियों द्वारा बाहमी बंटवारा किया गया जिसके अनुसार देवन शाहपुरा मुख्य सडक पर स्थित है उसमें 12 एयर जमीन देना तय किया जाना तथा अन्य खसरा नम्बर का विवरण अंकित करते हुए अन्य में जाहिर किया कि वादी के द्वारा मिलीभगत कर बंटवारा कुर्रेजात रिर्पोट तैयार करवायी है जिसे निरस्त किया बंटवारा नियमों के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बाहमी बंटवारा के अनुसार तथा प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार दावा डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया । वकील प्रतिवादी ने अपनी लिखित बहस तथा जवाब दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नियमों के अनुसार पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु निवेदन किया । ~~विवरण करते हुए तथा कोई जवाबदावा पेश नहीं होने पर प्रकरण में दिनांक 6.6.2018 को पाये~~

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी तथा प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य बिन्दु वादी व प्रतिवादी के बीच सड़क पर आयी हुई भूमि के सम्बन्ध में है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन पर पाया गया कि वादी को आराजी खसरा नम्बर 1788 व 1702 सम्पूर्ण दिया गया है जिससे प्रतिवादी ने अपनी बहस व लिखित बहस में भी जाहिर किया है कि सडक के लगती हुई भूमि की कीमती होने से वादी अपने नाम करवाना चाहता है जबकि समझोतें में भी 12 एयर भूमि देना तय किया गया था तथा चूंकि वादी के द्वारा कीमती भूमि को अपने पास रखकर बिना उपजाउ व बंजड तथा रोड से

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner

दूर की भूमि बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादी सं0 1 को देना बताया है,। कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन पर भी पाया गया कि मुख्य सडक पर आई भूमि अकेले वादी को दी गई है जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है। हम राजस्व मण्डल के नियमो के अनुरूप कब्जे कास्त को ध्यान में रखते हुए सरस नरस के हिसाब से भूमि का बंटवारा करना उचित समझते है ।,

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1788 व 1702 में वादी व प्रतिवादी दोनो को भूमि 1/2, 1/2 की जाकर तथा प्रतिवादी को दी गई खसरा नम्बर 2389 की भूमि में से वादी को 0.62 है0 भूमि दी जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया जाता हैं कि :–

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	2388 2389 /1 2395 2397 2398 1788 1702/2 कुल किता 7	1.04 है0 1.03 है0, 0.04 है0, 1.13 है0 0.96 है0 0.44 है0 0.09 है0 रकबा 4.73 है0	बलदेव पुत्र रूडमल हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार रहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा
2	1702/3 1743 1767 1768 1770 1771 1772 1773 1784 1788/1 2389/2 1703 1704 कुल किता 13	0.09 है0 0.25 है0 0.40 है0 0.10 है0 0.11 है0 0.35 है0 0.19 है0 0.68 है0 0.57 है0 0.44 है0 0.62 है0 0.48 है0 0.45 है0 कुल रकबा 4.73 है0	सूरजभान पुत्र रूडमल हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार रहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस में संशोधन किया गया जो इस निर्णय का जुज रहेगा, । साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 8/9/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना , आर ए एस**
वाद संख्या :– **31/2020**

उनवान

सुरजभान पुत्र रूडमल, उम्र–52 वर्ष, जाति जाट, निवासी देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

वादी

बनाम

1. बलदेव पुत्र रूडमल
2. मोहनलाल पुत्र बलदेव
3. देवीलाल पुत्र बलदेव
4. कन्हैयालाल पुत्र बलदेव
   समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा
7. मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
8. मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट वादी**
श्री रणवीर कपूरिया एडवोकेट प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 8/9/2022

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त करेंजात रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1788 व 1702 में वादी व प्रतिवादी दोनो को भूमि 1/2, 1/2 की जाकर तथा प्रतिवादी को दी गई खसरा नम्बर 2389 की भूमि में से वादी को 0.62 है0 भूमि दी जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया जाता हैं कि :–

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	2388	1.04 है0	बलदेव पुत्र रूडमल हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार रहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा
	2389 /1	1.03 है0,	
	2395	0.04 है0,	
	2397	1.13 है0	
	2398	0.96 है0	
	1788	0.44 है0	
	1702/2	0.09 है0	
	कुल किता 7	रकबा 4.73 है0	
2	1702/3	0.09 है0	सूरजभान पुत्र रूडमल हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार रहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा
	1743	0.25 है0	
	1767	0.40 है0	
	1768	0.10 है0	
	1770	0.11 है0	
	1771	0.35 है0	
	1772	0.19 है0	
	1773	0.68 है0	
	1784	0.57 है0	
	1788/1	0.44 है0	
	2389/2	0.62 है0	
	1703	0.48 है0	
	1704	0.45 है0	
	कुल किता 13	कुल रकबा 4.73 है0	

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस में संशोधन किया गया जो इस निर्णय का जुज रहेगा, । साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 8/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner